#### GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

#### RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO. 96 ANSWERED ON TUESDAY, JULY 26, 2022

## EFFORTS TO CONTROL FRAUDULENT SHELL COMPANIES QUESTION

#### 96. SHRI SANDOSH KUMAR P:

Will the Minister of Corporate Affairs be pleased to state:

- (a) whether the Government has taken any regulatory steps to control fraudulent 'shell companies' which do not conduct any real operations and are used mainly for money laundering and tax-evasion;
- (b) the details of the regulatory measures that have been taken so far; and
- (c) the name of such shell companies that have been identified during 2021-22?

#### **ANSWER**

THE MINISTER OF FINANCE AND CORPORATE AFFAIRS

(SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN)

(a) to (c): A statement is laid on the Table of the House:

\*\*\*\*\*\*

# STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO 96\* FOR ANSWER ON 26.07.2022 REGARDING EFFORTS TO CONTROL FRAUDULENT SHELL COMPANIES

(a) & (b): There is no definition of the term "Shell Company" and also "Fraudulent Shell Company" in the Companies Act,2013 (the Act). Shell Company normally refers to a company without active business operation or significant assets, which in some cases are used for illegal purpose such as tax evasion, money laundering, obscuring ownership, benami properties etc. However, there are provisions for removal of name of the company under Section 248 of the Act from the Register of companies, if it is not carrying on any business or operation for a period of 2 immediately preceding financial years (non operational Companies )and has not made any application within the said period for obtaining the status of a Dormant Company under section 455 of the Act. Registrar of Companies (ROC) removes the names of such companies from the Register of Companies after following the due process of law. Thus, the removal of the names of the companies from the Register of Companies is a continuous process.

The Government has undertaken Special Drives for identification and strike off of non-operational Companies under section 248 of the Act. 4,32,796 number of Companies have been struck off in these special Drives undertaken till 2021-22.

Further, section 164(2)(a) of the Act empowers the Ministry to disqualify the directors of those companies which have not filed financial statement or annual return for any continuous period of three financial years by not allowing them to be re-appointed as a director of that company or in other companies for a period of five years from the date on which the said company fails to do so. By invoking the said provision, the Ministry had also disqualified 5,68,755 directors.

Further, based on information received from various banks, the Central Government had ordered investigations into the true ownership of 68 such companies u/s 216 read with Section 210(1)(c) of the Companies Act, 2013, which had deposited Rs. 25 Crores or more in Bank Accounts and withdrew in an exceptional manner post demonetization.

(c): As stated at (a) there is no definition of term of Shell Company under the Act. However, a total of 49,921 number of non -operational companies have been struck off during 2021-22. The names of the companies may be perused from the website of the Ministry <a href="www.mca.gov.in">www.mca.gov.in</a> under the heading "Data & Reports" under the link "RD/ROC Information" with the title "List of Companies Struck-off by RoCs (STK-7) under section 248(5) of the Act 2013".

\*\*\*\*\*\*\*

#### भारत सरकार कारपोरेट कार्य मंत्रालय

## राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या. 96 (जिसका उत्तर मंगलवार, 26 जुलाई, 2022 को दिया गया)

## कपटपूर्ण मुखौटा कंपनियों पर नियंत्रण के प्रयास

## \*96. श्री संदोष कुमार पी:

क्या कारपोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने कपटपूर्ण 'मुखौटा कंपनियों' को नियंत्रित करने के लिए कोई विनियामक कदम उठाए हैं, जो कोई वास्तविक संचालन नहीं करती हैं और जिनका उपयोग मुख्य रूप से धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) और करापवंचन के लिए किया जाता है;
- (ख) अब तक किए गए विनियामक उपायों का ब्यौरा क्या है; और
- (ग) ऐसी मुखौटा कंपनियों के नाम क्या हैं जिनकी पहचान 2021-2022 के दौरान की गई है?

उत्तर

वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्री

(श्रीमती निर्मला सीतारमण)

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*

### 'कपटपूर्ण मुखौटा कंपनियों पर नियंत्रण के प्रयास' के संबंध में दिनांक 26.07.2022 को राज्य सभा में उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 96\* के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) और (ख): कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) में "शेल कंपनी" तथा "कपटपूर्ण शेल कंपनी" पद की कोई परिभाषा नहीं दी गई है। शेल कंपनी का आशय सामान्यत: सिक्रिय व्यवसाय प्रचालन नहीं करने वाली अथवा महत्वूपर्ण परिसंपितयां नहीं रखने वाली कंपनी से है; ये परिसंपितयां कुछ मामलों में अवैध प्रयोजनों जैसे कर का अपवंचन करने, धन शोधन करने, स्वामित्व की अस्पष्टता बनाए रखने, बेनामी संपित रखने, इत्यादि के लिए उपयोग की जाती हैं। तथापि, इस अधिनियम की धारा 248 के तहत कंपनी के नाम को कंपनियों के रिजस्टर से हटाए जाने का उपबंध है, यदि कंपनी दो ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की अविध से कोई व्यवसाय अथवा प्रचालन नहीं कर रही है (गैर-प्रचालनात्मक कंपनियां) तथा इस अधिनियम की धारा 455 के अंतर्गत एक निष्क्रिय कंपनी का दर्जा प्राप्त करने हेतु उक्त अविध के दौरान उसने कोई आवेदन नहीं किया है। कंपनी रिजस्ट्रार विधि की सम्यक प्रक्रिया का अनुसरण करने के पश्चात ऐसी कंपनियों के नाम कंपनियों के रिजस्टर से हटा देता है। इस तरह, कंपनियों के नाम को कंपनियों के रिजस्टर में हटाया जाना एक सतत प्रक्रिया है।

सरकार ने इस अधिनियम की धारा 248 के तहत गैर-प्रचालनात्मक कंपनियों की पहचान करने तथा उनका नाम सूची से हटाने के लिए विशेष अभियान शुरू किए हैं। इन विशेष अभियानों के तहत वर्ष 2021-22 तक 4,32,796 कंपनियों के नाम सूची से हटा दिए गए हैं।

साथ ही, इस अधिनियम की धारा 164(2)(क) मंत्रालय को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह तीन वितीय वर्षों की किसी सतत अविध के दौरान वितीय विवरण अथवा वार्षिक विवरणी फाइल नहीं करने वाली कंपनियों के निदेशकों को अयोग्य घोषित कर सकता है, जिसके तहत उक्त कंपनी द्वारा ऐसा चूक किए जाने की तिथि से पांच वर्ष की अविध के लिए उस कंपनी में अथवा अन्य कंपनियों में इन निदेशकों को निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त किए जाने की अनुमित नहीं दी जाती है। उक्त उपबंध का अवलंबन करते हुए, मंत्रालय ने 5,68,755 निदेशकों को भी अयोग्य घोषित कर दिया था।

इसके अतिरिक्त, विभिन्न बैंकों से प्राप्त सूचना के आधार पर, केंद्रीय सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 210(1)(ग) के साथ पिठत धारा 216 के तहत उन 68 कंपनियों के वास्तविक स्वामित्व की जांच करने का आदेश दिया था, जिन्होंने बैंक खातों में 25 करोड़ रुपये अथवा इससे अधिक की राशि जमा की थी तथा विमुद्रीकरण की घोषणा के पश्चात असाधारण रूप से धनराशि निकाल ली थी।

(ग): जैसा कि उपर्युक्त (क) में उल्लिखित है, इस अधिनियम के अंतर्गत 'शेल कंपनी' पद की कोई परिभाषा नहीं दी गई है। तथापि, कुल 49,921 गैर-प्रचालनात्मक कंपनियों के नाम वर्ष 2021-22 के दौरान सूची से हटा लिए गए हैं। इन कंपनियों के नाम "अधिनियम, 2013 की धारा 248(5) के तहत "कंपनी रजिस्ट्रारों द्वारा हटाई गई कंपनियों की सूची (एसटीके-7)" नामक शीर्षक से "आरडी/आरओसी सूचना" लिंक के तहत शीर्षक "आंकड़ा एवं रिपोर्ट" के तहत मंत्रालय की वेबसाइट www.mca.gov.in पर देखे जा सकते हैं।

\*\*\*\*\*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: First supplementary, Sandoshji. ...(Interruptions)... First supplementary. ...(Interruptions)...

SHRI SANDOSH KUMAR P: Please put the House in order. ...(Interruptions)...
What is the point in asking question if the House is not in order? ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You please put your question which you have given, 'Efforts to control fraudulent shell companies'. ...(Interruptions)... You put your first supplementary. ...(Interruptions)...

SHRI SANDOSH KUMAR P: I request you to put the House in order first. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I am requesting. I have already requested all Members. ...(Interruptions)... You follow the rules. Go back to your seats. ...(Interruptions)...
This is the duty of all of you. ...(Interruptions)... आप सबको यह करना है। ...(व्यवधान)...
आप फर्स्ट क्वेश्चन पूछें। ...(व्यवधान)... Please ask your first question. ...(Interruptions)...
I am not indulging in a debate. ...(Interruptions)... Put your question. ...(Interruptions)... I think you are not interested in asking question, Mr. Sandosh Kumar. ...(Interruptions)... Please. ...(Interruptions)... I am moving to other supplementaries. ...(Interruptions)... Q. No. 96, no supplementary. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Question Nos. 97 and 98. ... (Interruptions)...